संख्या-450/2025/1163/22-2-2023-17(1140)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 09 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख पुत्र श्री सईद निवासी जनपद-अयोध्या की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01-12-2022) दिनांक-24-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख पुत्र श्री सईद, जो ग्राम-साल्हेपुर निमैचा, थाना-रौनाही, जनपद-अयोध्या का निवासी है। धन सम्पत्ति व लालच के विवाद के कारण दिनांक-23.07.2003 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने भाई के परिवार के 04 व्यक्तियों एवं गर्भस्थ शिशु की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी एवं 09 वर्षीय पुत्री को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-738/03 में भा०द०वि० की धारा-302, 307/34 एवं 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 15.07.2008 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.10.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 06 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि धन सम्पत्ति व लालच के विवाद के कारण दिनांक-23.07.2003 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई के परिवार के 04 व्यक्तियों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी एवं 09 वर्षीय पुत्री को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला नजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 25 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी एकलाख पुत्र श्री सईद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख (बन्दी संख्या-292/2014) पुत्र श्री सईद निवासी जनपद-अयोध्या को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-450/2025/1163(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि□नांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-450/2025/1163/22-2-2023-17(1140)/2023

दिनांक: 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी एकलाख पुत्र श्री सईद, जो ग्राम-साल्हेपुर निमैचा, थाना-रौनाही, जनपद-अयोध्या का निवासी है। धन सम्पत्ति व लालच के विवाद के कारण दिनांक-23.07.2003 को बंदी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपने भाई के परिवार के 04 व्यक्तियों एवं गर्भस्थ शिशु की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी एवं 09 वर्षीय पुत्री को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-738/03 में भा०द०वि० की धारा-302, 307/34 एवं 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 15.07.2008 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.10.2010 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-30.09.2022 तक अपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 03 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 06 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि धन सम्पत्ति व लालच के विवाद के कारण दिनांक-23.07.2003 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाई के परिवार के 04 व्यक्तियों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी एवं 09 वर्षीय पुत्री को घायल किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला नजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 25 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी एकलाख पुत्र श्री सईद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।